उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून

5 वाँ तल, राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलेक्स,
डिस्पेंसरी रोड़, देहरादून–248001

क्रमांकः– मैमो / रेरा–10 / 2017–18 देहरादून, दिनांक 04.10.2019

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून में न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating officer) के एक पद पर प्रति मामला नियत मानदेय के आधार पर संविदागत नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों के आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं। इस नियुक्ति की निम्नलिखित शर्तें हैंः–

1. आवेदक की आयु दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को 62 वर्ष से अधिक न हो।
2. उत्तराखण्ड रेरा के न्याय निर्णायक अधिकारी Adjudicating officer के पद पर नियुक्त अधिकारी को गुण–दोष के आधार पर किसी मामले में निर्णय के लिए रु0 8,000.00 तथा किसी मामले के सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए रु0 5,000.00 की दर से धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
3. न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए की जायेगी परन्तु उनका कार्य तथा आचरण संतोषजनक पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा उसका अवधि विस्तार अधिकतम 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) किया जा सकेगा, परन्तु उनकी सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है।
4. शासकीय आवास अथवा इसके एवज में आवास भत्ता अथवा वाहन भत्ता प्राप्त नहीं होगा।

आवेदन पत्र में अपने सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी यथा शैक्षणिक योग्यताएँ, शासकीय सेवा का संक्षिप्त विवरण, स्वअभिप्रमाणित फोटो एवं यह घोषणा पत्र कि शासकीय सेवा के दौरान अथवा कभी भी उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक, सतर्कता एवं किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही नहीं हुई और सम्प्रति विचाराधीन नहीं है, देना होगा। आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ अपना ईमेल आई0डी0, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या भी देना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.uhuda.org के Rera Online Link से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र ईमेल द्वारा ukrera2017@gmail.com पर या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 25.10.2019 को सांयकाल 5:00 बजे तक कार्यालय समय में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए इस प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। अपूर्ण अथवा देर से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। किसी आवेदन पत्र पर बिना कारण बताए चयन / नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त / स्थगित करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0
(अध्यक्ष)
उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक
प्राधिकरण
(दूरभाष संख्या–0135–2719500)